संख्या– /XXVIII(5)/2025(E-76141)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांकः मार्च, 2025।

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में प्राचार्य एवं वित्त नियंत्रक के उपयोगार्थ वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2843/चि0शि0/03(मेडिकल)/22/2015 दिनांक 29 जुलाई, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में GeM के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के प्राचार्य एवं वित्त नियंत्रक के उपयोगार्थ अनुमन्यता एवं श्रेणी निर्धारित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–282749 दिनांक 17 मार्च, 2025 में निर्धारित अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अन्तर्गत ''मानक मद संख्या–28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय'' हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **02 नवीन वाहन MARUTI CIAZ SMART HYBRID ALPHA 1.5L5MT क्रय हेतु ₹ 19,69,440/– (₹ उन्नीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र)** को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के प्राचार्य हेतु अनुमन्य सीमा ₹ 14.00 लाख तथा वित्त नियंत्रक हेतु अनुमन्य सीमा ₹ 10.00 लाख से अधिक की सीमा से वाहन क्रय कदापि न किया जाय।
ii. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मित्तव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
iii. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

iv. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–2018 तथा संशोधित 2022 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित व्यवस्था प्राविधानों एवं क्रय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों एवं तद्विषयक अन्य प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करके वाहन क्रय किये जायेंगे।
v. उक्त वाहन क्रय किये जाने हेतु परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–212 दिनांक 17 फरवरी, 2023 का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
vi. उक्त वाहन GeM के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–103 दिनांक 21 जुलाई, 2022 में निहित प्राविधानानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
vii. उक्त हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कॉलेज–07–हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद–28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–284305/2025 दिनांक 20 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 21-03-2025 11:57:07

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार),
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

i. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून
ii. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
iii. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
iv. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
v. गार्ड फाईल।